

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 96 / 2020 (2020 / 00440)

दर्ज दिनांक 11.09.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. बरकत अली आत्मज इब्राहीम मुसलमान निवासी बोरियापुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. जाफर हुसैन आत्मज रफीक मुसलमान
2. शराफत आत्मज रफीक मुसलमान
3. शबनम पुत्री रफीक मुसलमान
4. सलीम आत्मज पीरू मुसलमान
5. तसलीम आत्मज पीरू मुसलमान
6. सितार बेगम पुत्री पीरू मुसलमान

सर्व निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री हरिश चन्द्र टेलर

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-25.01.2021


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेडा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2229 रकबा 0.65 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.65 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 321 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।



1.


रीसिडेंट मॅग्स्ट्रेट
(विपक्षी अधिकारी)
गंगपुर जिला भीलवाडा (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2229 रकबा 0.65 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.65 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 321 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना वेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्वन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास, ग्रंथोली)
सहायक सचिव (अधिकारी)
(उपसंगीपुर (भीलवाड़ा) जिला)
गंगापुर जिला (भीलवाड़ा) 2